

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुरजीत कौर	01.04.2024 से 31.03.2025तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर	6.96

		बारे	
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	12.97
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.07
4)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
5)	8	गृहकर / शादी पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय का सम्भावित दुरुपयोग	0.15
6)	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.71
7)	9.2	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.96
8)	9.3	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना	0.95
9)	9.4	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.17
10)	9.5 व 9.6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करना	0.02
11)	10	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	4.52

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24/07/2025 से 29/07/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	01/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 399/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मवा सिंधिया द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 644287 दिनांक 18/08/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मवा सिंधिया द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2024-25	3358522	5762763.10	9121285.10	6198317.10	2922968

नोट:- 15वें वित्तायोग शीर्ष के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मवा सिंधिया के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹704631.32** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	2922968.00
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1 अनुसार)	2192424.68
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	25912.00
4)	योग (2+3)	2218336.68
5)	अन्तर (4-1)	704631.32
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		695725.32
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		8906.00
कुल अंतर		704631.25

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹6.96 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड़ बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹695725.32** का अन्तर पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386/2025 दिनांक 26/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)	अन्तर (3-4) (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग के अतिरिक्त समेकित)	1296861	601135.68	695725.32

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹12.97 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय

किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि [परिशिष्ट क 1(a)] पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग के अतिरिक्त) में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1296861.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष

के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹7140 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	36830	53100	89930	82790	7140

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1200 सलग्र परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	1200

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 400/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलग्न परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	200

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 401/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सक्कर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई। अतः उक्त अनियमितता

का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 387/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि (₹)
1.	04/2024 से 12/2024	25606
2.	01/2025 से 03/2025	25912

8 गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से ₹0.15 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरुपयोग:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान निम्न विवरणानुसार रसीदों अनुसार गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹14486 की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था। फलस्वरूप उक्त ₹14486 की राशि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 390/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि ₹14486 के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	गृहकर / विवाह शुल्क से प्राप्त राशि, जिसे Online रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दर्ज किया गया (₹)	दिनांक 31.03.25 तक बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	दिनांक 31.03.25 तक बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या (Online)	टिप्पणी
1	630701	200	0	200	25	₹200 का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 25 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में राशि ₹3650 के साथ किया गया था, परन्तु जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.25 तक दर्ज नहीं पाई गई।
2	630710 से 630800	14006	दिनांक		29	₹46136 का इन्द्राज Online

	630801 से 630900	14330	30.11.24 को बैंक में जमा करवाई गई राशि			रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 29 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया है, परन्तु जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.25 तक ₹8136 कम दर्ज पाई गई।
	630901 से 631000	12090				
	631001 से 631036	5710				
	योग	46136	38000	8136		
3	631044 से 631070	3280	दिनांक 28.10.24 को बैंक में जमा करवाई गई राशि		29	₹20710 का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 29 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया है, परन्तु जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.25 तक ₹2210 कम दर्ज पाई गई।
	631073 से 631100	5440				
	631101 से 631159	11990				
	योग	20710	18500	2210		
4	631163 से 631164	200	दिनांक 01.01.25 को बैंक में जमा करवाई गई राशि		39	₹8100 के स्थान पर ₹8000 का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 39 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया अर्थात् ₹100 रोकड़ बही में कम दर्ज किए गए व दिनांक 31.03.25 तक ₹100 बैंक में भी कम जमा करवाए गए।
	631168 से 631169	450				
	631173 से 631193	5510				
	631195 से 631200	1940				
	योग	8100	8000	100		
5	631201 से 631207	1200	0	1200	---	उक्त राशि को न तो बैंक में जमा करवाया गया था व न ही इसका इन्द्राज रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2025 तक किया गया था।
6	631217 से 631247	7260	6000 (दिनांक 29.03.25 को बैंक में जमा करवाई गई राशि)	1260	46	₹7260 के स्थान पर ₹6000 का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 46 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया अर्थात् ₹1260 रोकड़ बही में कम दर्ज किए गए व दिनांक 31.03.25 तक ₹1260 बैंक में भी कम जमा करवाए गए।
7	631250 से 631255	1380	0	1380	--	उक्त राशि को न तो बैंक में जमा करवाया गया था व न ही इसका इन्द्राज रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2025 तक किया गया था।
योग (1+2+3+4+5+6+7)		84986	70500	14486	---	

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.71 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹170940** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अतः पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/34	3886 DTD. 06.06.24, 3631	JATIN SPUN PIPES CHHATERPUR DHADA	RCC PIPES	60090
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/37	443 11.10.24	MADAN LAL गगरेट	बोर्ड लिखवाई	15300
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/38	101, 102 14.01.25	SHRI SHRI RUDRA TILES VPO KHAD	PEVERS	56640
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/40	10070-10075 DTD 10.03.25	THAKUR ENTERPRISES VPO KUTHIARI	SAND, AGG	36210
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/41	098 01.01.25	VIDHYA PRINTERS & STATIONERY AMB	LETTER PADS	2700
					योग	170940

9.2 ₹0.96 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में निम्न विवरणानुसार ₹95592 की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 393/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/03/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/34	3886 DTD. 06.06.24, 3631	JATIN SPUN PIPES CHHATERPUR DHADA	RCC PIPES	60090
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	SDP/2024-25/P/1	92167 27.03.25	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	23154
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	SDP/2024-25/P/1	92168 27.03.25	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	9648
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/41	098 01.01.25	VIDHYA PRINTERS & STATIONERY AMB	LETTER PADS	2700
					योग	95592

9.3 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.95 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **सलग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹95032** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलग्न नहीं थे। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः **₹95032** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 उचित बिलों के बिना ₹0.17 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से **निम्नानुसार** आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **निम्न विवरणानुसार ₹17460** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर

भुगतान किया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 397/2025 दिनांक 29/07/2025 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	67-68	शून्य ---	श्री पवन कुमार वर्मा सपुत्र किशोरी लाल गांव मवा सिंधिया	चायपान	5840
2	यथोपरि	69	शून्य ---	श्री विनोद कुमार गांव अम्ब	ढुलाई	1000
3	यथोपरि	124	शून्य ---	श्री इकवाल सिंह गांव टटेहडा	चायपान	4000
4	यथोपरि	125	शून्य ---	श्री पवन कुमार वर्मा सपुत्र किशोरी लाल गांव मवा सिंधिया	चायपान	1820
5	यथोपरि	131	शून्य ---	श्री हरनेक सपुत्र श्री तरसेम लाल गांव टटेहडा	चायपान	4800
					योग	17460

9.5 ₹0.01 लाख का स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करना:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री, मिक्सचर किराये पर लेने हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें सुरिंदरजीत सिंह ट्रैक्टर ओनर गांव मवा सिंधिया से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी, परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त व्यक्ति को **निम्न विवरणानुसार ₹1200** का अधिक भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	मात्रा	भुगतान योग्य दर (₹)	भुगतान की गई दर (₹)	अन्तर	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	मिक्सचर	12	400	500	100	1200

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 395/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि ₹1200 के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9.6 योग में त्रुटी के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से योग में त्रुटी के कारण **निम्नानुसार ₹660 का** अधिक भुगतान श्री इकवाल सिंह गांव टटेहडा को किया गया था।

क्रम संख्या	बिल संख्या व दिनांक	माह	भुगतान योग्य राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	शून्य	03/25	3340	4000	660

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 396/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि ₹660 के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 ₹4.52 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त

अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में निम्न विवरणानुसार स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत ₹451842 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण अध्याचना संख्या 394/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः किए गए कार्यों के मुल्यांकन की जाँच अंकेक्षण दौरान सम्भव न हो सकी है। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	रिपेयर कम्युनिटी सेण्टर वार्ड नंबर 2	118931 (01.09.24 से 11.09.24), 35115 DTD 21.02.24, 372 DTD 04.08.24, 40 DTD 21.08.24, 585 DTD 17.09.24, 282 DTD 01.09.24	मजदूरी, SAND, AGG, BOARD, CARRIAGE, WATER TANN, GI PIPE ETC, WATER TANK STAND	49766	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
2	यथोपरि	रिपेयर सरायें वार्ड नंबर 1	118932 (20.09.24 से 30.09.24)	मजदूरी	12520	यथोपरि
3	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से सुशील फौजी वार्ड नंबर 2	36253 29.06.24, 36252 04.10.24, 387 02.08.24, 49 22.07.24	SAND, AGG, BOARD, CARRIAGE	75091	यथोपरि
4	यथोपरि	रिपेयर कम्युनिटी सेण्टर वार्ड नंबर 1	783 DTD. 23.02.23, 371 21.08.24, 53 DTD. 20.08.24, 37661 DTD.	BRICKS, BOARD, CARRIAGE, SAND, AGG	22198	यथोपरि

			11.02.24			
5	यथोपरि	रिपेयर सरायें वार्ड नंबर 7	35116 DTD. 01.02.24, 2399 DTD. 24.01.24, 281 DTD. 01.03.24, 38 DTD. 21.08.24, 374 DTD 01.09.24	SAND, AGG, TMT BAR, WATER TANKI, CARRIAGE	17892	यथोपरि
6	यथोपरि	रिपेयर आगनबाडी वार्ड नंबर 2	2399 DTD 24.01.24, 118943 (01.02.25 से 10.02.25)	TMT BAR	14139	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
7	यथोपरि	निर्माण पुल्ली अवादी लुवानेया वार्ड नंबर 7	3886 DTD 06.06.24	RCC PIPES	30000	यथोपरि
8	यथोपरि	निर्माण चार दिवारी ज़िम	3631 DTD शून्य	RCC PIPES	30090	यथोपरि
9	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	118941 (15.01.25 से 30.01.25, 066 DTD. 30.01.25, 101 DTD 14.01.25, 066 DTD 30.01.25, 10073-75 DTD. 10.03.25, 436 DTD 30.01.25	मजदूरी, पेवर/ ब्लॉक्स, दुलाई, रेत बजरी, बोर्ड	91377	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
10	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	118942 (14.01.25 से 30.01.25, 101 DTD 14.01.25, 067 DTD 31.01.25, 10070- 72 DTD. 10.03.25, 437	मजदूरी, पेवर/ ब्लॉक्स, दुलाई, रेत बजरी, बोर्ड	75967	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, तकनीकी व प्रशासनिक

			DTD 30.01.25			स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
11	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस रोड कुलभूषण, कमल ठाकुर से शमशान घाट तक	92167 27.03.25	CEMENT	23154	यथोपरि
12	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस रोड सतपाल, अवतार, राजेश आदि वार्ड नम्बर 5	92168 27.03.25	CEMENT	9648	यथोपरि
				योग	451842	

11 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 382/2025 दिनांक 25/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

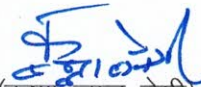
क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।


(कृष्ण लाल नेगी) 14.10.25

सहायक निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

14 OCT 2025

6540-6544

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(XV)(5)126/2025-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

14 OCT 2025

का०/प्रति


(कृष्ण लाल नेगी) 14.10.25

सहायक निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3358522	5762763.1	9121285.1	6193317.1	2922968



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAVA SINDHIYA
Dev. Block Gagret Dist. Una (H.P.)

SECRETARY

20

23

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3358522	2881094	6239616	3316648	2922968

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1691496	1393027	3084523	1787662	1296861

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1667026	1488067	3155093	1528986	1626107



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAWA SINCHAN
Dev. Block Gaggret Distt. Una (H.P.)

(Signature)
SECRETARY

23 21

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय
1	2024-25	0	2430277.1	2430277.1	2430277.1
					अंतिम शेष(5-6)
					0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय
1	2024-25	0	451392	451392	451392
					अंतिम शेष(5-6)
					0



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev Block Gopet Distt. (Haryana)

SECRETARY

88

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (Own & GIA)	20037069530	528840.48
	HDFC GAGRET (15 TH FC)	50100339391730	1617201.00
	HDFC GAGRET (VKVNY)	50100209819436	45328.60
	HDFC GAGRET	50100209819910	0.60
	HP GRAMIN BANK GAGRET (SBM)	88720100002274	1054.00
		योग	2192424.68
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	25912.00
		योग (1+2)	2218336.68



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIA
Dist. Gurgaon Haryana (H.R.)

[Signature]
SECRETARY
W

23

[Signature]

1)	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 (क) का अंतशेष	2922968.00
2)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	2192424.68
3)	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	25912.00
4)	योग (2+3)	2218336.68
5)	अन्तर (1-4)	704631.32



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gageri Distt. Una (H.P.)

SECRETARY

26 24

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	36830	53100	89930	82790	7140

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है।



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagret Distt. Una (H.P.)

SECRETARY

27 25

परिशिष्ट 'ग'

पैरा संख्या 72473 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1.	अनमोल ठाकुर	21.07.24	03.08.24	630701	200	200	0
2.	विशाल सिंह	11.10.24	30.10.24	---	200	0	200
3.	रोहित ठाकुर	07.10.24	30.10.24	630711	200	200	0
4.	साहिल कुमार	24.11.24	23.12.24	631188	200	200	0
5.	दीपक कुमार	11.12.24	03.01.25	631189	200	200	0
6.	अजय कुमार	20.02.25	10.03.25	631250	200	200	0
7.	अमित राणा	21.02.25	10.03.25	631255	200	200	0
				योग	1400	1200	200



उपरोक्त विवरण सही है।

28/03/25

26

28

26

परिशिष्ट धृ

पैरा संख्या 9.3 के सन्दर्भ

माह 03/25 में खरीदी गई रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि का विवरण:-

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1	स्वयं स्त्रोत व अनुदान समेकित	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से सुशील फौजी वार्ड नंबर 2	36253 29.06.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	31421
2	यथोपरि	do	36252 04.10.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	13510
3.	यथोपरि	रिपेयर कम्युनिटी सेंटर वार्ड नंबर 1	37661 11.02.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	3198
4.	यथोपरि	रिपेयर सराये वार्ड नंबर 7	35116 01.02.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	4893
5	यथोपरि	रिपेयर कम्युनिटी सेंटर वार्ड नंबर 2	35115 01.02.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	5800
6	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	10070 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	5617
7	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	10071 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	1926
8	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	10072 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	4567
9	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	10073 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	8988
10	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	10074 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	9660
11	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	10075 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	5452
					योग	95032



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIA
Dev. Block Gagert Distt. Una (H.P.)

SECRETARY

27

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top center, possibly a title or subject.

1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------